Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का प्रथम दिवस संख्या 1

गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी, 1968.

विधान सभा की बैठक म. पू. 4.42 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखी गई राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सचिव विधान सभा (श्री डी. के. डी. बंजल)— महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी गई)

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उदयलाल वर्दिया के प्रति श्रद्धान्जलि

श्री अध्यक्ष—श्री वर्दिया की मृत्यु पर शोक प्रकट।

मुझे यह सूचना मिली है कि प्रथम एवं तृतीय राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री उदयलाल वर्दिया का 3 अगस्त 1967 को देहावसान हो गया है। स्वर्गीय श्री वर्दिया प्रथम व तृतीय राजस्थान विधान सभा के लिये लसाड़िया निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे । वे प्रथम विधान सभा के 1952 से 1957 तक तथा तृतीय विधान सभा के 1962-67 तक सदस्य रहे । लसाड़िया निर्वाचन क्षेत्र से वे पहली बार कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित हुए थे और दूसरी बार स्वतन्त्र पार्टी के टिकिट पर। श्री वर्दिया आदिवासियों की उन्नति के लिये जीवन पर्यन्त कार्य करते रहे। उन्होंने सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया था।

मैं अपनी ओर से और माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रृद्धान्जलि अर्पित करते हुए सम्वेदना प्रकट करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनिट खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की)

विधान सभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 4 बज कर 45 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 19 जनवरी, 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

राजस्थान के राज्यपाल सरदार हुकमसिंह का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में मैं आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूं ।

2. हमारा देश आज जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है वे सबके ध्यान में हैं । ऐसे समय में हमें आज अपनी सारी शक्ति, साहस और दूरदर्शिता की अत्यन्त आवश्यकता है । पिछले कुछ महीनों में राष्ट्र के कुछ स्थानों में होने वाले आन्तरिक झगड़े, उग्र आन्दोलन व हिंसक प्रवृत्तियों को देख कर अपने राज्य के शान्तिमय वातावरण पर विचार करें, तो प्रतीत होता है कि यदि जनता और उसके नेता चाहें तो किसी भी राज्य में एकता व शान्ति बनाए रख सकते हैं । अपने प्रान्त के शान्तिपूर्ण वातावरण के लिए मैं समस्त जनता एवं उसके नेताओं को बधाई का पात्र समझता हूं ।

3. राज्य सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि सदा ऐसे कदम उठाये जाएं जिससे कि देश में एकता की शक्तियों को और बल मिले और हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हों । ऐसी नीतियों को आगे भी दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्प है ।

4. जैसा कि आपको विदित ही है, पिछले वर्षों में अकाल के कारण इस राज्य में आर्थिक दृष्टि से परीक्षा-काल रहा है । सूखे और अनावृष्टि के कारण सभी आर्थिक क्षेत्रों में बुरा असर पड़ा । विद्युत्-उत्पादन की कमी होने से औद्योगिक प्रगति भी मन्द हो गई । कृषि-उत्पादन पूर्ण प्रयत्न के पश्चात् भी कम रहा । देशव्यापी आर्थिक कठिनाई का प्रभाव इस प्रान्त में अत्यधिक महसूस किया गया, क्योंकि मरुस्थली क्षेत्र होने के कारण यहां के आर्थिक ढांचे पर शीघ्र विपरीत प्रभाव पड़ता है । किन्तु, इन विषम परिस्थितियों में भी राज्य में योजनाबद्ध कार्यक्रम चलता रहा । जैसा कि आपको विदित है, 1966-67 की वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग द्वारा रु. 36.66 करोड़ प्रारम्भ में निर्धारित किया गया था । बाद में रु. 6 करोड़ का प्रावधान राजस्थान नहर परियोजना तथा उस क्षेत्र के विकास हेतु भारत-सरकार द्वारा राज्य सरकार को, हस्तान्तरित किया गया । इसके अतिरिक्त समय समय पर लघु-सिंचाई, ग्रामीण जल-प्रदाय, बाढ़-नियन्त्रण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतिकरण के लिये केन्द्रीय-सरकार ने अतिरिक्त सहायता प्रदान की है । राजस्थान राज्य विद्युत्-मण्डल को जीवन बीमा निगम से प्राप्त रुपये 2 करोड़ का ऋण भी वार्षिक योजना में सम्मिलित है । इस प्रकार वार्षिक योजना का आकार रु. 36.66 करोड़ से बढ़कर रु. 48.90 करोड़ हो गया । वास्तविक व्यय भी रुपये 48.90 करोड़ के करीब होगा इस प्रकार, 1966-67 की योजना के वित्तीय लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त होगये । राज्य की आय में, 1965-66 के प्रारम्भिक अनुमानों की तुलना में 1966-67 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 4.79 प्रतिशत वृद्धि हुई । इसी समय में 1954-55 की स्थिर कीमतों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय रु. 245 से बढ़ कर रु. 251 हो गई, जो कि 2.45 प्रतिशत वृद्धि है । यह वर्तमान परिस्थितियों में श्रेयस्कर है ।

5. 1965-66 में खाद्य-उत्पादन कुल 37.77 लाख टन था । इसकी तुलना में 1966-67 में उत्पादन 42.55 लाख टन रहा । राज्य में अधिक उत्पादन कराने के लिये कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रयत्नों को जारी रखा गया । 1966-67 में अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम प्रारम्भ

किया गया। इस वर्ष में करीब 421 1/2 हजार एकड़ में अधिक उपज देने वाले मक्का, ज्वार, बाजरा, धान व गेहूं के बीज बोए गये। 1967-68 के लिए प्रारम्भ में तो दो लाख बासठ हजार एकड़ क्षेत्र में ऐसे अधिक उपजाने वाले बीजों के प्रयोग का लक्ष्य था, किन्तु केन्द्रीय-सरकार के अधिक आवश्यक खाद व बीज आदि दिये जाने के आश्वासन पर लक्ष्य में वृद्धि की गई। बढ़े हुए लक्ष्य 4 लाख 37 हजार एकड़ में अनुमानित उपलब्धि 3 लाख 94 हजार एकड़ है। 1968-69 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 11 लाख 33 हजार एकड़ है। राज्य सरकार को, किसानों की ऐसे बीजों के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, यह पूर्ण आशा है कि शीघ्र ही सभी जिलों में अत्यधिक क्षेत्रों में अधिक उपज वाले बीज बोए जायेंगे और कृषि-उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी।

6. अधिक उपज देने वाले बीजों के साथ-साथ उर्वरक की मांग में वृद्धि स्वाभाविक है। ऐसी आशा की जाती है कि 1966-67 में बंटे 68 हजार 550 टन नत्रजेनिय, 11,980 टन फास्फेटिक व 430 टन पोटेशिक उर्वरक वितरण की तुलना में वर्तमान वर्ष में एक लाख दस हजार टन नत्रजनिय, 46 हजार टन फासफेटिक और 3,650 टन पोटेशिक उर्वरक वितरण किये जायंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाते हुए उर्वरक वितरण का सम्पूर्ण कार्य राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ को सौंप दिया गया है।

7. फसल-संरक्षण का कार्य भी अब बड़े पैमाने पर राज्य में लिए जाने का प्रयत्न है। इस कार्य हेतु 125 फसल-संरक्षण यनिट कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सघन-खेती क्षेत्रीय जिलों में 10 मोबाइल स्क्वाड स्वीकृत किये गये हैं। 1966-67 में करीब 40 लाख एकड़ में फसल-संरक्षण का कार्य किया गया था। 1967-68 के लए 54 लाख एकड़ तथा 1968-69 के लिए 66.40 लाख एकड़ में फसल-संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।

8. अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में यह प्रयत्न किया गया था कि अधिकतर अकाल सहायता कार्य उत्पादक रूप का हो, और इसीलिए भू-संरक्षण कार्य को प्राथमिकता दी गई थी। विभागीय योजना एवं अकाल सहायता के अन्तर्गत एक लाख बत्तीस हजार एकड़ क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य पूरा किया गया। वर्तमान वर्ष के लिए एक लाख नवासी हजार एकड़, क्षेत्र में यह कार्य कराने का प्रस्ताव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से चम्बल क्षेत्र में पानी के भराव की समस्या के समाधान के लिए योजना शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार की एक योजना राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि की उपयोगिता व पानी के उचित उपयोग के बारे में चल रही है। हमें आशा है कि इन योजनाओं से राज्य के किसानों को लाभ होगा।

9. इस वर्ष राज्य सरकार ने भारत-सरकार से आयातित खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त किया और, उनके माध्यम से, देश के अन्य राज्यों से भी खाद्यान्नों को प्राप्त किया। क्योंकि इस प्रकार प्राप्त आवंटित खाद्यान्न राज्य की मांग की अपेक्षा कम पड़ता है, अतः यह प्रयत्न किया गया कि हम अपने स्तर पर राज्य के लिए एक बफर स्टाक बनाने हेतु खाद्यान्न एकत्रित करें। इसके लिए मुख्यतः तीन कदम उठाये गये। प्रथम, राज्य के

उत्पादकों एवं विक्रेताओं पर लेवी लगा कर खाद्यान्नों की वसूली, द्वितीय खुली मण्डी में सीधे खरीद के द्वारा खाद्यान्नों का संग्रह तथा तृतीय राज्य में उत्पादित खाद्यान्नों का अनधिकृत निर्यात रोकने के लिए समुचित व्यवस्था।

10. पिछली गेहूं की फसल में उत्पादनकर्ताओं से सीधे लेवी वसूल की गई थी। सम्बन्धित आदेश के अन्तर्गत उत्पादक 10 जिलों में क्षेत्रफल के आधार पर बड़े किसानों से गेहूं की लेवी वसूल की गई और इस प्रकार 21 हजार 234 टन गेहूं खरीदा गया। क्योंकि आयातित खाद्यान्नों की प्राप्ति अनिश्चित बनी रही और मोटे खाद्यान्नों की मांग अधिक है, इसलिए उनका बफर-स्टाक बनाना व्यवहारिक प्रतीत हुआ। राज्य सरकार ने खरीफ के खाद्यान्नों को क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों पर 25 प्रतिशत लेवी लगा कर वसूल करने का निर्णय किया। इस योजना के अन्तर्गत एक लाख पचास हजार टन मोटे खाद्यान्नों को संग्रहीत करने का विचार है। आवश्यकतानुसार, राज्य सरकार के एजेन्ट खाद्य निगम को यह अधिकार है कि वह जहां भाव निर्धारित दर से नीचे गिरते नजर आएं, वहां पर खुले बाजार में भी खाद्यान्न खरीद करे। इस नीति के अनुसार, कुछ मण्डियों से खाद्यान्न क्रय किये गये हैं।

11. राजस्थान का एक अलग खाद्य क्षेत्र बन जाने से खाद्यान्न राज्य के बाहर अवैधानिक रूप से ले जाने पर पूरी रोक लगादी गई है। पंजाब के विभाजन से पूर्व, पंजाब की ओर एसा निर्यात बहुत ही कम होता था। वहां केवल ज्वार की मांग रहती थी, किन्तु इस वर्ष में यह पाया गया कि राज्य में उत्पादन होने वाली दालों चने, ज्वार आदि की निकटवर्ती तथा अन्य राज्यों में काफी मांग है। इसे रोकने के लिए अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा में 10 मील चौड़ी चने के लिए और पांच मील चौड़ी अन्य खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त सीमा पट्टी का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, एक विशेष आरक्षि-दल, एक अतिरिक्त आरक्षि अधीक्षक के अधीन, स्थापित किया गया। इस कदम से अब काफी नियन्त्रण हो गया है।

12. यद्यपि इस वर्ष सौभाग्य से वर्षा समय पर और अच्छी हुई है, फिर भी राज्य के कुछ मरुस्थली क्षेत्रों में स्थिति सामान्य रही। क्योंकि इन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में भी अकाल की स्थिति थी, अतः इन क्षेत्रों में जनता की आर्थिक अवस्था पर बुरे प्रभाव की आशंका है। इस वर्ष लगभग 2,350 गांव अकाल-ग्रस्त हैं। फेमिन कोड के अन्तर्गत जो भी सहायता इन क्षेत्रों के लिए निश्चित है, वह समयानुसार दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान दिया जा रहा है कि पिछले वर्ष आये केन्द्रीय अध्ययन-दल की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जावे। अधिक से अधिक उत्पादक कार्य ही हाथ में लिये जायेंगे। राजस्व अभिकरण के द्वारा सहायता कार्यक्रम कम लिय जाने की सम्भावना है; अधिकतर कार्य उन विभागों के द्वारा कराये जायेंगे जहां पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध हो। इन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पेय-जल की व्यवस्था की जा रही है। ट्रकों, ट्रेक्टरों व गाड़ियों द्वारा भी दूर फैले हुए गांवों आदि में पानी पहुंचाया जायेगा। इस वर्ष विभिन्न जिलों से पशु निष्क्रमण की आशंका नहीं है। पशु-संरक्षण व चारे की भी उचित व्यवस्था की जा रही है।

13. इस वर्ष राज्य के कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप रहा। विशेषतया

भरतपुर,अलवर, पाली के क्षेत्रों में बाढ़ के कारण काफी माल और फसल को नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने बाढ़-ग्रस्त इलाकों के नागरिकों को समयानुसार उचित सहायता दी। जिन बाढ़-पीड़ित परिवारों के मकान पूर्णतया नष्ट हो गये, उनको नकद सहायता के अतिरिक्त मुफ्त राशन और मकान बनाने का सामान भी वनों से निःशुल्क दिया गया। बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य-सरकार ने भरतपुर जिले के लिए रु. 20 लाख, पाली के लिए रु. 10 लाख, बाड़मेर के लिए रु. 15 हजार तथा अन्य जिलों में रु. 2।। लाख आवंटित किया है। कृषकों को आवश्यकतानुसार बीज उधार पर उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार केवल भरतपुर जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में लगभग 47,343 क्विन्टल बीज वितरित किया गया। सस्ते खाद्यान्नों की दुकानें विभिन्न स्थानों पर खोली गई। जिन बांधों नहरों, और उप-नहरों में तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता थी, उनकी मरम्मत के लिए रु. 5 लाख दिये गये। इसी प्रकार, प्रभावित सड़कों को टीक कराने के लिए भी रु. 5 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के कृषकों से लगान व आबियाने की वसूली स्थगित करदी गई। क्योंकि भरतपुर, के औद्योगिक क्षेत्र में पानी भर गया था इसलिये राज्य-सरकार ने प्रभावित छोटे उद्योगपतियों को रु. 4 लाख सस्ती दर पर उधार दिये। जितने समय पानी भरे रहने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य बन्द रहा, उस सयम का किराया माफ करने की भी आज्ञा दी गई। राज्य-सरकार उन लोगों को भी सहायता दे रही है जो कि ऐसे गांवों में रहते हैं जिन पर बाढ़ का प्रकोप शीघ्र होता है। ऐसे गांव ऊंचाई पर बसाने के लिये राज्य-सरकार ने उचित धनराशि व भूमि-खण्ड उपलब्ध करने का आदेश दिया है। राज्य-सरकार इसके लिए प्रयत्न-शील है कि भारत सरकार भरतपुर व अलवर के लिए, हरियाना, उत्तर-प्रदेश और दिल्ली राज्यों के सहयोग से, एक विस्तृत व समन्वित योजना बनाये, जिससे कि यह क्षेत्र बार बार बाढ़ से पीडित न हो। राज्य-सरकार को ऐसी आशा है कि इस क्षेत्र में जो हानि हुई है उसमें सुधार लाने के लिये उन्हें भारत-सरकार से अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी। यह धन राशि यदि प्राप्त हो गई तो यह सम्भव होगा कि जो नहर आदि बाढ के कारण टूट गई हैं उन्हें अगली बरसात से पहले टीक करा लिया जाये।

14. कृषि-उत्पादन बढ़ाने एवं भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देने के उद्देश्यों से राज्य-में भूमिहीन काश्तकारों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन इस वर्ष भी चालू रहा। अब तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष में 20,009 व्यक्तियों को 1,20,961-95 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इनमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 4,318 और 6,078 है।

15. इस वर्ष में राज्य-सरकार ने राजस्व नियमों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। अभी तक मरुस्थली क्षेत्रों में, उपनिवेशन क्षेत्रों को छोड़ कर, भूमि का आवंटन केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था। इस वर्ष ऐसा प्रावधान किया गया है कि मरुस्थली क्षेत्रों में भूमि का आवंटन, अन्य क्षेत्रों की भांति, 10 वर्ष के लिये किया जायेगा, और इस प्रकार इन क्षेत्रों के भूमिहीन

व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के विषय में अनिश्चिततायें समाप्त हो जायेंगी ।

16. राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन व बेचान सम्बन्धी नीति को निर्धारित कर दिया गया है । नये नियमों के अनुसार, यह प्रावधान रखा गया है कि भूमिहीन किसानों एवं अनुसूचित जन-जाति तथा अनसूचित जाति के भूमिहीन किसानों के लिए भूमि आवंटित की जावे । एक लाख एकड़ भूमि केवल अनुसूचित जन-जाति तथा अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों के लिए तथा पचास हजार एकड़ भूमि अन्य भूमिहीन किसानों के लिए सुरक्षित है । नये प्रावधानों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों से भूमि का मूल्य एक-मुश्त वसूल नहीं किया जाकर सरल किश्तों में लिया जावेगा ।

17. राजस्थान में मध्यम व लघु-सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमियों के बारे में भी ऐसा निर्णय लिया गया है कि इन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि निर्धारित मूल्य पर आवंटित की जावे, तथा इस क्षेत्र के अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भूमि सुरक्षित की जावे ।

18. राज्य-सरकार ने यह भी प्रयत्न किया है कि राज्य के भरतपुर, सवाई-माधोपुर तथा कोटा जिलों में स्थित जो भूमि कन्दरा-क्षेत्रों में है उसे सौ-सौ एकड़ के भूमि-खण्डों में उन लोगों को आवंटित करदी जावे जो कि निर्धारित शर्तों पर उसे कृषि योग्य बनाने को तैयार हों, किन्तु कहीं भी किसी परियोजना के अधीन आई हुई भूमि कन्दरा-भूमि के रूप में आवंटित नहीं की जावेगी । ऐसे क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इन व्यक्तियों से 5 वर्ष तक भूमि का लगान वसूल नहीं किया जावे । इन 5 वर्षों में इन व्यक्तियों को सम्पूर्ण भूमि को कृषि योग्य बनाना होगा । इन जिलों के भूमिहीन कृषकों और सहकारी समितियों को ऐसी भूमियों का उपयोग करने के लिये एक अवसर दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है ।

19. मरुस्थली क्षेत्रों में जहां नल-कूप खोदे गये और उनके अन्तर्गत भूमि है, वहां पर कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि इन नल-कूपों और उनके अधीन आने वाली भूमियों को उचित आरक्षित मूल्य निश्चित करके उससे अधिक मूल्य पर नीलाम द्वारा बेच दिया जावे ।

20. राज्य को खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर करने वाली हमारी मुख्य परियोजना राजस्थान नहर परियोजना है । खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य-सरकार के भरसक प्रयत्न करने के पश्चात् भी भारत-सरकार ने इस परियोजना का पूर्ण वित्तीय भार अपने ऊपर नहीं लिया है । यही नहीं, क्योंकि इसके लिए धन हमें अपनी योजना अभि-सीमा में से उपलब्ध करना पड़ता है, इसलिए साधनों की कमी के कारण इसकी प्रगति भी धीमी हो गई । उदाहरण के लिए 1967-68 में अनुमानित रु. 6 करोड़ के मुकाबले में केवल रु. 3 करोड़ ही उपलब्ध कराया जा सकेगा । इससे योजना के प्रथम चरण के निर्माण का कार्य धीमा हो गया है

और इसके पूर्ण होने में 2-3 वर्ष अधिक लग जायेंगे। प्रथम चरण के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) 134 मील लम्बी पूरी राजस्थान फीडर, जिसका 111 मील का टुकड़ा पंजाब, हरियाना राज्यों में है और 23 मील राजस्थान सीमा में है, बन कर तैयार होगया है।

(2) 292 मील लम्बी राजस्थान मुख्य नहर के पहले 48.6 मील का कार्य पूरा हो चुका है। 48.6 मील से 82 मील तक का कार्य प्रगति पर है।

(3) नोरंगदेसर, रावतसर, जोरावरपुरा और खेतावली वितरक नहरों का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है। सूरतगढ़ शाखा का कार्य भी लगभग समाप्त हो चुका है। अनूपगढ़ शाखा का कार्य प्रगति पर है।

21. 1966-67 में राजस्थान नहर से 1,37,979 एकड़ भूमि में सिंचाई हुई थी। इस वर्ष 1,50,000 एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई होने की आशा है।. अनूपगढ़ शाखा में इस वर्ष पानी छोड़ा गया है। इस शाखा के अन्तर्गत कृषि योग्य अधिकृत क्षेत्र लगभग 4 43,000 एकड़ है।

22. राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पानी की कमी को देखते हुए नहर की शाखाओं व वितरिकाओं की लाईनिंग का कार्य मूल नहर के निर्माण के साथ-साथ ही किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया है कि भू-सिंचन उग्रता (Intensity of Irrigation) को 78 प्रतिशत से बढ़ा कर 110 प्रतिशत कर दिया जावे।

23. यद्यपि पिछले वर्षों में वर्षा की कमी के कारण पुराने व नये सिंचाई के बन्धों व तालाबों में पानी कम था, तब भी प्रयत्न यही रहा कि अधिक से अधिक सिंचाई की जावे। 1965-66 में 20.33 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की गई थी। 1966-67 में 22.21 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई थी। इस वर्ष अधिकतर तालाबों में क्षमता से अधिक पानी आया है, और ऐसी आशा की जाती है कि इस वर्ष सिंचाई 25.13 लाख एकड़ भूमि में की जा सकेगी।

24. बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष पानी अधिक प्राप्त होने की आशा है। भाखरा व गांधीसागर में इस वर्ष पानी अधिक है। मध्यम सिंचाई की 10 योजनायें, जो चल रही थीं, उनमें से प्रायः 9 समाप्ति पर ह, और उनसे सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। लघु-सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य में अब तक 390 ऐसी योजनायें समाप्त हो चुकी हैं, तथा 40 और योजनाओं पर कार्य मुख्यतः समाप्ति पर है। इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के द्वारा भी यह योजनाएं हाथ में ली गई।

25. कम वर्षा के कारण बिजली के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विभिन्न उपभोक्ताओं को जनवरी से सितम्बर, 1967 तक कम किये गये स्तर पर विद्युत् बड़ी कठिनाई से दी जा सकी।

वर्षा के पश्चात् स्थिति काफी सुधर गई। सतपुड़ा से भी बिजली मिलने लगी, और अब शीघ्र ही इटारसी-बुरावाह लाइन के पूरे होने पर संतपुड़ा से बाकी बिजली मिलने की आशा है। लघु-उद्योगों से सभी कटौतियें हटा दी गई हैं। मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कटौती से पूर्व के स्तर तक विद्युत् दी जा रही है। कोटा व भाखरा क्षेत्रों में अब कटौती 20 प्रतिशत रह गई है। हिसार से जयपुर 220 के. वी. सिंगिल सर्किट लाइन पूरी होने पर भाखरा से अतिरिक्त 25 मेघा वाट बिजली लेना सम्भव हो जायगा। अणु-शक्ति परियोजना से भी विद्युत् 1970-71 तक प्राप्त होगी। इसको अन्य-विद्युत्-ग्रिडों से मिलाने के लिये 220 के. वी. लाइन खेंचने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

26. धनाभाव के कारण नये क्षेत्रों में विद्युतिकरण का कार्य रुका रहा। फिर भी ऐसी आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त तक 1,868 स्थानों में विद्युतिकरण हो जायेगा, जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ऐसे स्थानों की संख्या केवल 1,242 ही थी। इसी प्रकार से कृषि-उत्पादन के लिये सिंचाई के कुओं को बिजली देने का इस वर्ष का लक्ष्य 1,000 के स्थान पर चार हज़ार कर दिया गया है। 1,500 कुओं को विद्युत् दी जा चुकी है। शेष का कार्य मार्च तक समाप्त होने की आशा है। इस प्रकार इस वर्ष के अन्त तक 14.549 कुए विद्युतिकरण में आ जायेंगे, जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ऐसे कुल 6,861 ही कुए थे।

27. कृषि-उत्पादन कार्यक्रम का पंचायत व सहकारी विभागों से और अधिक समन्वय बैठाया जा रहा है। अलवर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर व चित्तौड़गढ़ ज़िलों में 50 पंचायत समितियों का चयन किया गया है, जिनको लघु-सिंचाई कार्य, भू-संरक्षण, उन्नत कृषि-यन्त्र व बगीचे के लिए दीर्घकालीन ऋण सहकारी भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा, प्राप्त होगा। सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत अबतक 35.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार व 66.5 प्रतिशत ग्राम आ चुके हैं। समस्त सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी रु. 5,700 लाख से बढ़कर रु. 6,299 लाख हो गई है।

28. वर्तमान वष में प्राथमिक कृषि-ऋण दात्री सहकारी समितियों को सशक्त बनाने, निष्क्रिय प्राथमिक कृषि-ऋण दात्री सहकारी समितियों को समाप्त करने व छोटी-छोटी समितियों का विलीनीकरण करके सक्षम समिति के रूप में पुनर्गठन की योजना प्रारम्भ की है।

29. पशु-पालन विभाग द्वारा कृषकों के पशुओं के उपचार हेतु साधन सुलभ रूप से उपलब्ध करने का प्रयत्न जारी रहा। अब राज्य के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक चल पशु-चिकित्सालय उपलब्ध होगया है। माता रोग के टीके व अवांछित पशुओं के बंधीयकरण का कार्यक्रम भी व्यापक रूप से चलाया जा रहा है।

30. मत्स्य विकास के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 40 लाख स्पान (Spawn) व 24 लाख 78 हजार 193 फ्राईज (Fries) व फ़िंगर-लिंगस (Finger-lings) संचय किये गये हैं। राजस्थान नहर क्षेत्र में भी इस वर्ष यह

कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। आगामी वर्ष में दो करोड़ मत्स्य बीजों का उत्पादन संचय कर पानी में छोड़ने का लक्ष्य है। कुक्कुट पालन व सूकर पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

31. किसी भी प्रदेश के लिये वन एक मूल सम्पदा है और उसकी समृद्धि एवं विकास अति आवश्यक है। राजस्थान प्रदेश में वनों की कमी के कारण जीवन व आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। रेगिस्तान का बढ़ना रोकने के लिये वन-सम्पदा बढ़ाना आवश्यक है। इस वर्ष साधारण विकास योजनाओं और नदी घाटी योजनाओं में प्रस्तावित वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं चारागाह-सुधार कार्य के अतिरिक्त अकाल सहायता के अन्तर्गत भी वन विभाग द्वारा उत्पादित कार्य किया गया है।

32. लघु-उद्योगों की प्रगति सन्तोष-जनक है। राजस्थान लघु-उद्योग निगम को, जो विशेषकर लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है, ऊनी मिल का कार्य सौंपा गया था। हर्ष की बात है कि चूरू में स्थापित मिल में उत्पादन शुरू होगया है। लाडनूं में यह उत्पादन जनवरी के अन्त तक प्रारम्भ होने की आशा है। राजकीय उपक्रम क्षेत्र में बीकानेर में लगाई गई ऊनी मिल का परीक्षणात्मक उत्पादन जनवरी के अन्त तक प्रारम्भ होगा। इन ऊनी मिलों की स्थापना से राज्य में उत्पादित ऊन का उचित उपयोग हो सकेगा।

33. राजस्थान की हस्तकलाओं का देश-विदेशों में अपना ही स्थान है। प्रति वर्ष इसकी विक्रय धनराशि में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में मानट्रियल (कैनाडा) में लगे एक्सपो, 67 मेले में राजस्थान लघु-उद्योग निगम को आज्ञायें प्राप्त हुई हैं। ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में हस्तशिल्प का निर्यात और बढ़ेगा।

34. राजस्थान में बड़े उद्योगों की स्थापना में जो प्रारम्भ में सराहनीय प्रगति हुई थी, वह विद्युत की कमी के कारण शिथिल हो गई थी। कई महत्वपूर्ण उद्योग समय से उत्पादन प्रारम्भ न कर सके थे। पिछले वर्ष में निम्नलिखित उद्योगों ने उत्पादन शुरू किया :—

(1) सीमेण्ट फ़ैक्ट्री, चित्तौड़;

(2) ताम्बे के मिश्रण से बनी नली पत्थर छड़ों का कारखाना, कोटा;

(3) कोका-कोला फ़ैक्ट्री, जयपुर,

(4) ट्रान्समिशन टावर फ़ैक्ट्री, जयपुर;

(5) बनस्पति फ़ैक्ट्री, भीलवाड़ा; तथा;

(6) ज़िंक स्मेल्टर, उदयपुर।

35. गत वर्ष में महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर, जो काफ़ी समय से बन्द पड़ी थी, भारत-सरकार द्वारा उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (ए) के अन्तर्गत अपने नियन्त्रण में लेली गई। मिल अब सुचारु रूप से चल रही है। इसके नवीनीकरण के लिये उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

36. निम्नलिखित उद्योगों के स्थापन के सम्बन्ध में उठाये गये कदम सन्तोषजनक हैं :—

(1) उदयपुर सीमेण्ट फ़ैक्ट्री;

(2) निम्बाहेड़ा सीमेन्ट फ़ैक्ट्री;

(3) ब्यावर सीमेण्ट फ़ैक्ट्री;

(4) ताम्बे का कारखाना, खेतड़ी;

(5) मशीन टूल फ़ैक्ट्री, अजमेर;

(6) श्री राम फ़र्टिलाइज़र प्लाण्ट, कोटा; तथा

(7) एक्रीलीक फ़ाइबर प्लाण्ट, कोटा।

स्मरण रहे कि विस्तृत लाइम-स्टोन के भण्डार राजस्थान में कई स्थानों पर मिले हैं। राज्य के खनिज विभाग द्वारा अन्वषण के बाद जो नये जमावों का पता चला है उनके कारण कई सीमेण्ट फ़क्ट्रियों के स्थापित होने की सम्भावना है।

37. बड़े हर्ष की बात है कि उदयपुर और जैसलमेर के पास राकफ़ासफ़ेट नामक खनिज मिलने के आसार मिले हैं। अन्य स्थानों पर भी जहां पर कि जमाव के आसार दर्शित हुए हैं खोज व अन्वेषण काय जारी है। राकफ़ासफ़ेट, सलफ़रिक एसिड के मिश्रण के बाद, सुपरफ़ासफ़ेट नामक कृत्रिम खाद बनाने के काम में आता है। राज्य में टंगस्टन व फ्लोर्सपार की खुदाई व शोधन का कार्य जारी है। यह खनिज-पदार्थ कई सुरक्षा सेवाओं से सम्बन्धित कारखानों में ऊंचे स्तर की स्टील व अन्य पदार्थ बनाने के कार्य के लिये भेजा जा रहा है।

38. राज्य का खनिज विभाग नये खनिज जमावों की खोज में प्रयत्नशील है। इसके लिये भारत-सरकार के विभिन्न अधिकरणों से सम्बन्ध स्थापित करके सर्वेक्षण व अनुसंधान कर रहा है। भारत-सरकार की "ओपरेशन-हार्डरोक" की एक योजना, जिसमें कुछ मित्र देशों से सहायता प्राप्त हुई है, के अन्तर्गत वायुयान द्वारा सम्भावित समृद्ध क्षेत्रों में हवाई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

39. किसी भी प्रदेश की आर्थिक उन्नति व विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पर्याप्त रेल, सड़कें व पुल हों। इन साधनों के अभाव में राजस्थान पहले काफी पिछड़ा हुआ था। हर्ष की बात है कि वर्तमान वर्ष में इस ओर काफी प्रगति हुई है। पोकरण से जैसलमेर का क्षेत्र, जो पहले रेल लाइन से सम्बन्वित नहीं था, अब सम्बन्धित होगया है और शीघ्र ही इस लाइन पर यात्री-गाड़ी आने-जाने लगेगी। सीमा-क्षेत्रों में विभिन्न सड़कें बनाने का कार्यक्रम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है, और ऐसी आशा की जाती है कि उनके बन जाने के पश्चात् इन पिछड़े हुए इलाकों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी। यद्यपि धन अभाव के कारण राज्य में नयी सड़कें बनाने का कार्यक्रम बहुत ही सीमित रखा गया है, फ़िर भी कुछ महत्वपूर्ण सड़कों में आवश्यक पुल बनाए गए हैं। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है चन्द्रावती व सूकरी नदी पर पुल, जिनके कारण अब राजस्थान व गुजरात के बीच आबू-पालनपुर सड़क पर हर मौसम का रास्ता खुल गया है। ऐसे ही खारगोदा व बनास नदियों पर पुल बनने से डूंगरपुर-

Page No. 11

सागवाड़ा तथा भीलवाड़ा-चित्तौड़ क्षेत्रों में सब मौसम की सड़कें ठीक हो जायेंगी। श्री गंगानगर जिले का अन्य जिलों से और जिले के आन्तरिक हिस्सों से घग्घर की बाढ़ के कारण सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता था, वह भी अब रावतसर व हनुमानगढ़ के बीच पुल बन जाने से मिट गया है। टोंक के समीप फ़ेजरब्रिज के स्थान पर बनास पर एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, कुछ महत्वपूर्ण पुल बनाने के प्रस्ताव भी राज्य-सरकार के विचाराधीन हैं।

40. आर्थिक विकास के लिये यह भी आवश्यक है कि राज्य के उद्योगपतियों व श्रमिकों में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने, अनुशासन संहिता का पालन करने तथा गैर कानूनी हड़तालें व तालाबन्दी रोकने का पूर्ण प्रयत्न रहे। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा श्रम स्थिति सन्तोषप्रद रही है। 1966 में क्षतिग्रस्त मानव दिनों की संख्या 41,730 थी, जब कि 1967 में यह संख्या केवल 30,046 रही। गत वर्ष में हड़तालों से सम्बन्धित श्रमिकों की संख्या 8,243 थी, जब कि 1967 में यह संख्या केवल 4,339 रही।

41. राज्य में न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित, करने का कार्य पूरा हो गया है। कृषि, कारपेट व शाल-वीविंग उद्योगों को छोड़ कर शेष अन्य सभी अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम वेतन घोषित कर दिया गया है। राज्य-सरकार ने श्रमिकों को बोनस वितरित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाये हैं। अधिकतर संस्थानों के श्रमिकों को बोनस वितरित कर दिया है। कुछ संस्थानों के विरुद्ध बोनस न देने के कारण कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ऐसी कानूनी कार्यवाही उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की जा रही है जिन्होंने मंहगाई भत्ते को मूल्य-सूचक अंक से जोड़ने की क्रियान्विति नहीं की है। कुछ मामलों को औद्योगिक न्यायाधिकरण के सुपुर्द किया जा चुका है।

42. वर्तमान वर्ष में श्रम विभाग के प्रशासनिक संगठन में कुछ मूलभूत परिवर्तन किये गये हैं, जिससे अब श्रम आयुक्त पदेन शासन उप सचिव भी हो गये हैं। राज्य के आठ क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई।

43. राज्य-सरकार अपने स्वयं के कर्मचारियों के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक है। 1967-68 के वित्तीय वर्ष में नये फेमिली पेन्शन नियमों को अधिक उदार बनाया गया। अब यदि कोई राज्य कर्मचारी सात वर्ष की सेवा करने के पश्चात् सेवा-काल में अकाल–मृत्यु को प्राप्त हो, तो मृत्यु की तारीख से सात वर्ष तक, अथवा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु की तिथि तक, जो भी अवधि कम हो, उसमें मृत राज्य कर्मचारी के वेतन का 50 प्रतिशत उसके आश्रितों को दिया जायेगा। जैसा कि सदन को ध्यान है, पहली जौलाई, 1967, से समस्त राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ कर, 55 वर्ष कर दी गई थी। ऐसे सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विशेष सुविधायें दी गई हैं, जिससे कि राज्य-सेवा से निवृत्त होने के कारण कोई कठिनाई न हो।

44. जो सबसे महत्वपूर्ण कदम इस वर्ष राज्य-सरकार ने अपने कर्मचारियों के विषय में अपनाया है, वह मंहगाई भत्ते के बारे में है। भारत-सरकार द्वारा स्थापित गजेन्द्रगडकर

कमीशन की सिफारिशों को राज्य-सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये भी मान लिया है। इसके अनुसार, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता 1 अक्टूबर, 1967, से कर्मचारियों को नकद में दे दिया गया। 1 फरवरी, 1967, से 30 सितम्बर, 1967 तक का यह मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को बाद में किश्तों में दिया जावेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मंहगाई भत्ते की दर, मूल्य-सूचक अंकों में 10 अंकों के अन्तर पर, स्वतः ही बदल जायगी। इसके आधार पर 1 नवम्बर, 1967, से मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। राज्य-सरकार को चालू वर्ष में मंहगाई भत्ता बढ़ाने के कारण करीब रु. चार करोड़ 65 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। मूल्य-सूचक अंकों के 10 अंकों के अन्तर पर जो 1 जनवरी, 1968, को मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की आज्ञा प्रसारित हुई है, उसके कारण ही लगभग रु. 65 लाख का वित्तीय भार पड़ेगा। यदि इसी दर पर बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में देना हुआ, तो दरों की बढ़ोतरी से राज्य-सरकार पर पूर्ण वित्तीय वर्ष में रु. छः करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।

15. इस वर्ष में राज्य-सरकार ने सेवारत अथवा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिये भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये। जो सैनिक सेवा-निवृत्त होकर पेन्शन पर जा चुके हैं और जिनकी पेन्शन रु. 100) माहवार से कम है, उन्हें पेन्शन की रकम उनके घर पर मनीआडर द्वारा चुकाई जायगी; और जिनकी पेन्शन रु. 100) से अधिक है, उन्हें भी लिखित विकल्प देने पर मनीआर्डर द्वारा चुकारा किया जायगा। रु. 100) से कम की पेन्शन को मनीआर्डर द्वारा भेजने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मृत सैनिकों एव विकलांग सैनिकों पर आश्रित छात्रों को छठी कक्षा से ऊपर छात्रवृत्ति पहले ही उपलब्ध है। छठी कक्षा से नीचे वाली श्रेणी के ऐसे छात्रों को भी छः रुपया प्रति मास छात्रवृत्ति अगले सत्र से देने का निर्णय लिया गया है। राज्य-सरकार ने निश्चय किया है कि बड़े बड़े शहरों में, जहां पर कि रहवास के लिये भू-खण्डों की मांग सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों ने की है, वहां इनके लिये भू-खण्ड निम्नलिखित संख्या में सुरक्षित किये जावें:—

(1)	जयपुर	1000
(2)	जोधपुर	500
(3)	बीकानेर ..	250
(4)	अजमेर	150
(5)	अलवर, भरतपुर, सवाई-माधोपुर, टोंक, नागौर, चूरू, कोटा, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर ..	100 प्रत्येक में।

इन भूखण्डों के आंवटन व मूल्य की वसूली के बार में भी सरल शर्तों को रखा गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे सैनिकों को सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में जो भूमि का आंवटन किया जायेगा वह प्राथमिकता पर किया जायगा। सिंचित क्षेत्रों के लिये एक विशेष आंवटन समिति का भी गठन किया गया है। सैनिकों के बच्चों के लिये तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अगले सत्र से स्थानों को सुरक्षित किया गया है। इन संस्थानों में भर्ती न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य माप दण्डों को पूरा करने व योग्यता के आधार

पर ही होगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में यह सुरक्षा निम्न प्रकार से रखी गई है:—

1 मैडिकल कालेजेज	समस्त सीटों का 5 प्रतिशत
2 पोलीटेक्निक्स	समस्त सीटों का 5 प्रतिशत
3 कृषि कालेजेज	समस्त सीटों का 5 प्रतिशत
4 इंजीनियरिंग कालेजेज	समस्त सीटों का 3 प्रतिशत

46. आपत्तकालीन कमीशन से सेवा-निवृत्त सैनिक अधिकारियों के लिये राजकीय सेवाओं एवं आर. ए. सी. व होमगार्ड में उचित संरक्षण किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो राज्य के आर. ए. सी. पुलिस व अन्य असैनिक कर्मचारी काम पर हताहत हुए हैं अथवा पूर्णतया विकलांग हो गए हों, उन्हें भी वही सुविधाएं प्राप्त हों जो कि ऐसे ही सैनिकों को राज्य-सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य-सरकार द्वारा इस विषय में जो निर्णय लिये गये हैं उनकी शीघ्र क्रियान्विती कराने के लिये सात वरिष्ठ आर. ए. एस. अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। आशा है कि यह कार्य पूरा हो जायेगा।

47. राज्य में चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिये निरन्तर प्रयत्न जारी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ाई गई हैं। राजस्थान नहर क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत एक 6 शैय्याओं वाला चिकित्सालय छत्रगढ़ में खोला गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा सेवाओं में राज्य-सरकार पूर्ण रूप से भाग ले रही है। क्षय-निरोधक आन्दोलन में क्षय रोग की चिकित्सा व रोकथाम की व्यवस्था अब 22 जिलों में उपलब्ध है। राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन योजना, राष्ट्रीय रोहे-नियन्त्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजनाओं में प्रगति सन्तोषजनक रही है।

48. राज्य सरकार इस वर्ष परिवार नियोजन की ओर विशेष ध्यान दे रही है। चालू वर्ष में राज्य में 61 शहरी व 232 ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं और 11 शहरी परिवार नियोजन केन्द्र व 30 ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र स्वेच्छा संगठनों द्वारा, एवं 16 शहरी परिवार नियोजन केन्द्र ई. एस. आई. संगठन द्वारा चलाये जा रहे हैं। दो क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर व अजमेर में, चिकित्सकों एवं चिकित्सा सहायता वर्गों के प्रशिक्षण के लिये कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रमों को गति देने के लिये चालू वर्ष में दो बार परिवार नियोजन पखवाड़े मनाये गये। उनके अन्दर लक्ष्यों की प्राप्ति सन्तोषजनक थी।

49. राज्य के अन्दर आयुर्वेदिक, यूनानी व देशी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये विधिवत सहायता वर्तमान वर्ष में भी चालू रही। गत वर्ष में नहरी क्षेत्र में 10 नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये और 5 औषधालयों को क्रमोन्नत किया

50. धनाभाव के कारण इस वर्ष सामान्य शिक्षा के बजट से कोई नई शाला खोलने व क्रमोन्नत करने का लक्ष्य नहीं था। किन्तु जनता की मांग व स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये 14 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला, एवं 21 शालाओं को उच्च माध्यमि

स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। 7 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय, 7 में जीव विज्ञान और एक में वाणिज्य विषय प्रारम्भ किया गया।

51. उच्चशिक्षा क्षेत्र में राजगढ़ में राजकीय कालेज खोला गया। डूंगर कालेज, बीकानेर, में रसायन शास्त्र व भौतिक विज्ञान की एम. एससी. की कक्षाएं प्रारम्भ की गई। राजकीय कालेज, धोलपुर, में पी. यू. सी. व टी. डी. सी. में विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ की गई।

52. इस राज्य में समाज कल्याण के कार्यक्रमों का विशेष स्थान है। संबंधित विभाग द्वारा दो प्रकार की योजनायें हैं: पिछड़ी जाति के कल्याण कार्य तथा सामाजिक एवं नैतिक-स्वास्थ्य कार्य। पिछड़ी जाति के कल्याण कार्यों में अनुसूचित जन-जाति एवं अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां, मकान, पीने के पानी आदि के लिये सहायता दी जाती है। अनुसूचित जन-जाति कल्याण का विशेष कार्यक्रम आदिवासी खण्डों में होता है। पूर्व योजनाओं में उनके व्यावसायिक कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन कर विभिन्न आदिवासी विकास क्षेत्रों में कार्य करने (Diversification of vocational Programme) का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। डूंगरपुर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट आदिवासी विकास क्षेत्र प्रारम्भ किये जा रहे हैं। यह इस आशय से किया जा रहा है कि इस जिले की आदिम जाति के लोगों की सामान्य आर्थिक प्रगति के लिये जो प्रावधान है उसका सीधा लाभ उन्हें मिले। सामाजिक व नैतिक स्वास्थ्य आदि के अन्तर्गत पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में चालू की गई योजनायें विधिवत चल रही हैं, और सम्बन्धित गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

53. राज्य सरकार की यह मान्यता है कि भाषा को लेकर जो झगड़े देश के अन्य स्थानों पर हुए हैं ये अत्यन्त दुःखदायी हैं। उग्र प्रदर्शनों तथा राजकीय एवं निजी सम्पत्ति के नष्ट करने से कोई प्रश्न हल नहीं होता। यदि देशवासी शान्ति से इस प्रश्न पर विचार करें तो यह कठिन नहीं कि निर्धारित नीति के अनुसार शान्तिपूर्ण ढंग से राष्ट्र की भाषा अपना स्थान ग्रहण करले तथा अहिन्दी भाषी लोगों को भी कोई कठिनाई न हो। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में जो नीति अपनाई जा रही है वह व्यवहारिक है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 26 जनवरी, 1968, से समस्त कार्यालयों में कार्य पूर्णतया हिन्दी में होगा। किन्तु अपने उन अधिकारियों के लिये, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है और जो अहिन्दी भाषी प्रान्तों के हैं, और जो अधिकारी 45 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें छूट दी गई है कि वे सुविधानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में काम करें। 45 वर्ष से कम आयु वाले ऐसे अधिकारियों के लिये अगले पांच वर्षों में हिन्दी भाषा पूर्ण रूप से सीख लेना आवश्यक होगा। इस अवधि में उन्हें छूट होगी कि वे हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सुविधानुसार काम करें। राज्य सरकार के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में अब कार्य हिन्दी में होगा। जनता की सुविधा के लिये सभी राजकीय नियम शीघ्र हिन्दी में प्रकाशित होंगे। काफी समय के लिये नियम द्विभाषी छापे जावेंगे।

54. राज्य सरकार प्रदेश में शीघ्रातिशीघ्र मद्यनिषेद करने की नीति में विश्वास करती है। इस वर्ष कुछ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे प्रदेश के अन्दर शराब पीने का चलन कम हो। राज्य में अब तक प्रचलित गारंटी सिस्टम द्वारा शराब की दुकान देने की प्रथा अगले वित्तीय वर्ष से समाप्त कर दी जायगी। मद्यनिषेध वाले प्रान्त गुजरात, से लगने वाली राजस्थान की सीमा में 25 किलोमीटर की पट्टी में पूर्ण रूप से मद्यनिषेध 2 अक्टूबर, 1967, से प्रभाव में लाया गया है। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी तथा 18 वर्ष से कम आयु के अन्य व्यक्तियों द्वारा मद्यपान अब अपराध करार दिया जायगा, निश्चित दण्ड के अतिरिक्त विद्यार्थी को तुरन्त शिक्षण संस्था से निष्कासित करने का भी प्रावधान रखा जा रहा है। टेकचन्द कमेटी की सिफारिशों को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार ने राज्य में बिकने वाली देशी शराब को और अण्डरप्रूफ कर दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि अब भविष्य में औद्योगिक संस्थानों के समीप शराब की दूकानें स्थापित नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार की यह मान्यता है कि मद्यनिषेध की नीति की पूर्ण सफलता के लिये उचित जनमत स्थापित होना चाहिए। सरकार को आशा है कि उनके विभिन्न प्रयत्नों में स्वयंसेवी संस्थायें उचित लोकमत स्थापित करने में पूर्ण सहयोग देंगी।

55. इस वर्ष राज्य सरकार अल्प बचत पर अत्याधिक जोर दे रही है। ऐसी आशा की जाती है कि अच्छी फसल के कारण इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी अच्छी होगी। राज्य-सरकार की इच्छा इस अधिक आमदनी के उचित भाग को अल्प बचत के द्वारा एकत्रित करने की है। कृषकों को इस प्रकार बचत की आदत पड़ेगी, राज्य के आर्थिक विकास के लिये धनराशि उपलब्ध हो सकेगी और जिस हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध यह अधिक धनराशि राजकीय कोष में एकत्रित होगी उसी अनुपात में खुले बाजार में उस मुद्रा का प्रसार कम होगा। इससे कीमतें नीचे आयेंगी। राज्य सरकार ने इस वर्ष का यह लक्ष्य करीब रु. 7 करोड़ निर्धारित किया है। राज्य-स्तर पर संगठन को सुदृढ़ किया गया है।

56. वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछले दो सालों की सूखे की स्थिति से राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का वार्षिक योजना पर भी असर हुआ है। 1967-68 की 'वार्षिक योजना का आकार केवल रु. 44.50 करोड़ निर्धारित किया जा सका, जिसमें रु. 39 करोड़ केन्द्रीय सहायता से, रु. 4 करोड़ जीवन बीमा निगम से ऋण एवं रु. 1–1/2 करोड़ राज्य के साधन सम्मिलित थे; किन्तु बाद में योजना आयोग से विचार-विमर्श करके यह उचित समझा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि कीमतें बढ़ गई हैं और राज्य पर सूखे व अकाल सहायता राहत का अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, योजना का आकार रु. 43 करोड़ कर दिया जावे।

57. राज्य सरकार की यह मान्यता है कि पिछले वित्त आयोग के निर्णयों के पश्चात् देश की आर्थिक व्यवस्था ने काफी जोर और भार का अनुभव किया। इसके कारण जो नयी स्थिति अपने सामने आयी है, इसको देखते हुए यह आवश्यक है कि राज्यों की वित्तीय परिस्थितियों और केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का पुनः सिंहावलोकन करके उचित

निर्णय लिये जावें। राज्य सरकार ने इसके लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र ही एक नया वित्त आयोग बनायें। ऐसी आशा की जाती है कि इस वित्त आयोग के समक्ष हम अपनी विशेष परिस्थितियों को उचित प्रकार से रख कर, राज्य के लिये ठीक वित्तीय साधन प्राप्त करने में सफल होंगे। राज्य सरकार की यह धारणा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को, नये वित्त आयोग के निर्णय प्राप्त होने से पूर्व अन्तिम रूप नहीं दिया जाना चाहिये।

58. इस वष आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी हुई दृष्टिगोचर हो रही है, किन्तु अभी हम कठिनाइयों को हल नहीं कर सके हैं। यदि हमने आर्थिक कठिनाइयों और धनाभाव से अपनी योजना का आकार छोटा कर दिया, तो अब तक की गई प्रगति और प्राप्तियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। राज्य क अन्दर बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ जायेंगी और उसका असर आगे के लिये बहुत हानिकर होगा। हमें इस बात को अपने ध्यान में रखना होगा कि कुछ अस्थाई कठिनाइयों को सह कर भी, योजना के उचित वित्तीय साधन जुटाने हैं। राज्य सरकार की यह मान्यता है कि प्रान्त के नागरिक सदा की भांति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं तथा राज्य सरकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयास में वे पूण योगदान देंगे।

59. कानून व विधि व्यवस्था गत वर्ष में सन्तोषजनक एवं पूर्ण नियन्त्रण में रही। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के चम्बल घाटी में कुछ डकैतों क अपराधों में वृद्धि हुई, किन्तु हमारी पुलिस ने इन गिरोहों से मुकाबिले किये। 8 डाकुओं को मार डालने में सफलता मिली, व 83 डकैत मय हथियारों के पकड़े गये। प्रदेश की पुलिस व आर. ए. सी. का मनोबल वर्ष भर अच्छा रहा। राज्य सरकार ने उनकी आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि पुलिस लाइन्स में मिलने वाला भोजन और अधिक पौष्टिक बनाया जावे। मैस-अलाउन्स रु. 5 प्रति माह से बढ़ा कर रु. 12 करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

60. इस सत्र का मुख्य कार्य जिसके लिए आपको यहां आमन्त्रित किया गया है, वह आगामी वित्तीय वर्ष के लिये आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना तथा तत्संबंधी कानून बनाना है। इन माहों में चार अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में प्रचलित करने पड़े हैं, जैसे राजस्थान बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1967, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967, (मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि की भूमि को अधिकतम सीमा कानून से मुक्त रखे जाने के संबंध में) तथा राजस्थान मंत्री वतन (संशोधन) अध्यादेश, 1967। उनके विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंग। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार न्यूनतम वेतन विधेयक, 1968, राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अधिप्रेरण) विधेयक, 1968, राजस्थान होमियोपैथिक विधेयक, 1968, राजस्थान औद्योगिक संबंध विधेयक, 1968 तथा राजस्थान नशाबन्दी विधेयक, 1968 भी आपके सम्मुख विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही के लिये प्रस्तुत करेगी।

61. आपके सम्मुख राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा-जोखा मैंने प्रस्तुत

किया । आगामी वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार जो कदम उठाने का इरादा रखती है, उसका संकेत भी आपके सम्मुख प्रस्तुत है । इसके लिये सरकार को आपके पथ-प्रदर्शन, सम्मति और सहयोग की अपेक्षा होगी । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्त्तव्यों को सफलतापूर्वक निभायेंगे । मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं ।

जयहिन्द ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक 18 जनवरी, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
2	7	पयन्त	पर्यन्त
,,	अन्तिम से 4	तदम्तर	तदनन्तर
3	9	एसे	ऐसे
,,	20	उसक नताओं	उसके नेताओं
,,	29	क	के
,,	अन्तिम से 4	क्षत्र	क्षेत्र
4	10	ग्मीण	ग्रामीण
5	अन्तिम से 8	जायंगे	जायेंगे
,,	अन्तिम से 1	यनिट	यूनिट
6	अन्तिम से 7	खा ान्नों	खाद्यानों
7	18	ए	एक
,,	20	आवश्यकतानसर	आवश्यकतानुसार
,,	अन्तिम से 4	एसा	ऐसा
11	1	भमि	भूमि
,,	8 व 11	भमिहीन	भूमिहीन
12	6	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
,,	13	भमि	भूमि
,,	अन्तिम से 10	अपन	अपने
14	13	ह	हैं
,,	8	काय	कार्य
16	13	वष	वर्ष
17	12	वष	वर्ष
,,	22	हष	हर्ष
18	17	फक्ट्री	फैक्ट्री
19	14	अन्वषण	अन्वेषण
,,	16	फक्ट्रियों	फैक्ट्रियों
,,	21	काय	कार्य
21	अन्तिम से 7	शष	शेष
22	शीर्षक	196	1968
23	1	न	ने
,,	अन्तिम से 9	लिय	लिये
,,	अन्तिम से 5	मनीआडर	मनीआर्डर
24	8	म	में
,,	9	थे	के
,,	22	बार	बारे
26	अन्तिम से 7	किया	किया गया।

1	2	3	4
26	अन्तिम से 6	वष	वर्ष
„	अन्तिम से 4	नह	नहीं
„	अन्तिम से 1	माध्यमि	माध्यमिक
31	12	वष	वर्ष
„	18	क	के
„	अन्तिम से 2	क	के
32	22	वतन	वेतन
33	शीर्षक	परिशिष	परिशिष्ट